न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–05/2015

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
23.01.20	श्री बोढ़न यादव, पे0–स्व0 सुकन महतो — आवेदक प्रथम श्री सानु यादव, पे0–स्व0 राजू यादव — आवेदक द्वितीय श्री बालेश्वर यादव, पे0–स्व0 राजू यादव — आवेदक तृतीय श्री सुधीर यादव, पे0–स्व0 राजू यादव — आवेदक चतुर्थ श्री संजय यादव, पे0–स्व0 सहदेव यादव — आवेदक पंचम श्री अर्जून यादव, पे0–स्व0 सुकन महतो — आवेदक षष्टम सा0–ठाकुर अहरा, पो0–सोनो, अंचल–सोनो, जिला–जमुई। **बनाम** श्री किसुन यादव, पे0–स्व0 सुकन यादव– — विपक्षी प्रथम सा0–ठाकुर अहरा, पो0–सोनो, अंचल–सोनो, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण वाद श्री बोढ़न यादव, पे0–स्व0 सुकन महतो एवं अन्य, सा0–ठाकुर अहरा, पो0–सोनो, अंचल–सोनो, जिला–जमुई के आवेदन दिनांक–05.08.2014 के आलोक में कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त वाद में उभयपक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा उभयपक्षों द्वारा अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए बहस की गई तथा अपना लिखित बहस पेश की गई। **वादी (प्रथम पक्ष) का कथन :–** (1) मौजा–ठाकुर अहरा, खाता सं0–111, खेसरा सं0–919 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ भूमि दर्ज है। (2) आवेदकगण के पूर्वज सुकन यदव के नाम से भूतपूर्व जमींदार हरिहर लाल के द्वारा खाता सं0–111, खेसरा सं0–919 में 1.40डी0 भूमि बंदोवस्त की गई थी। यह बंदोवस्ती हुकुमनामा के द्वारा 30 माघ सन् 1332 फसली में की गई थी। (3) बंदोवस्ती के दिन से आवेदकगण के पूर्वज उक्त जायदाद पर दखल–कब्जा में आये और आज तक दखलकार है। (4) भूतपूर्व जमींदार के द्वारा जमींदारी रसीद भी निर्गत की गई और उस जमीन के सटे ही आवेदकगण का मकान है। (5) जमींदारी प्रथा निहित होने के समय रिटर्न भी आवेदकगण के पूर्वज के नाम से सबमिट हुई लेकिन आवेदकगण तथा उनके पूर्वज अशिक्षित रहने के कारण बिहार सरकार के सिरिस्ते में आवेदकगण के नाम से रसीद नहीं कट सकी। (6) वर्ष 2015 में आवेदकगण को जानकारी मिली कि विपक्षी ने अंचल अमलाओं को मेल में लाकर गैरमजरूआ जमीन की बंदोवस्ती अपने नाम से गलत ढंग से करा लिया है, जो बिल्कूल आधारहीन एवं कानून से परे है। (7) आवेदकगण ने जब बाजप्ता नकल अंचल अधिकारी, सोनो के यहाँ से प्राप्त किया तो विपक्षी के नाम से गलत बंदोवस्ती का कागज प्राप्त किया गया तब जमाबंदी रद्दीकरण का वाद आवेदकगण के द्वारा इस न्यायालय में लाया गया। (8) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी के नाम से गलत तरीके से सृजित की गई जमाबंदी संख्या–168 को निरस्त किये जाने योग्य है।	

(9) आवेदक का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विपक्षी के नाम से गैरमजरूआ जमीन की बंदोवस्ती की है। अंचल अधिकारी ने विविध वाद सं0–17/12–13 जो किशुन यादव, पे0–शुकर यादव के नाम से अपने आदेश फलक में दिनांक अंकित नहीं किये है, जो यह दर्शाता है कि अंचल अधिकारी, सोनो ने खुले तौर पर गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर गलत आदेश पारित किया है।

(10) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी किशुन यादव ने रेन्ट फिक्स का आवेदन खेसरा सं0–919 का जो दिया है, वह बिल्कूल की जाली कागज के आधार पर दिया गया है। महाराज राज रियासत, गिद्धौर के द्वारा किशुन यादव के नाम से किसी भी जमीन का बंदोवस्त नहीं की गई है और न ही एकक्षण के लिए वे इस जमीन पर दखलकार हुए है। उनका दखल–कब्जा भी नहीं है।

(11) आवेदकगण का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विविध वाद सं0–17/12–13 में बिल्कूल ही गलत एवं अवैधानिक है। अंचल अधिकारी मात्र रिकोमेण्ड करने के अधिकारी है जबकि उक्त केश में अंचल अधिकारी ने स्वयं रिकोमेण्ड भी करते है एवं अपने से आदेश भी पारित करते है, जो सर्वथा अनुचित एवं अधिकार क्षेत्र से परे है। इस प्रकार गलत आदेश के आधार पर विपक्षी किशुन यादव के नाम से जमाबंदी संख्या–168 दर्ज की गई है वह बिल्कूल रद्द किये जाने योग्य है।

(12) आवेदकगण का यह भी कहना है कि विपक्षी किशुन यादव का मौजा ठाकुर अहरा के खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40डी0 पर न तो पूर्व में और न ही वर्त्तमान समय में एकक्षण के लिए भी दखलकार नहीं हुए और न तो अंचल अधिकारी ने स्वयं स्थल जाँच किये बगैरह जाँच किये एवं बिना कोई उचित दस्तावेज के विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0–168, जो गलत तरीके से दर्ज करा लिया है। उसे रद्द करने की कृपा की जाय।

<u>विपक्षी का पक्ष</u> :– आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन वैधानिक रूप से निम्नलिखित आधार पर पोषनीय नहीं है :–

(1) विपक्षीगण का कहना है कि बोढ़न यादव एवं अन्य द्वारा यह जमाबंदी रद्दीकरण वाद गलत तथ्यों के आधार पर लाया गया है। उनका यह कथन गलत है कि उपरोक्त खाता, खेसरा और रकवा की जमीन भूतपूर्व जमींदार द्वारा सुकन यादव के नाम बंदोवस्त किया गया। उनका यह कथन भी गलत है कि इस जमीन पर उनका दखल–कब्जा हुआ। सुकन यादव के नाम भूतपूर्व जमींदार द्वारा कोई रिटर्न भी समर्पित नहीं किया गया।।

(2) वास्तविकता यह है कि राज रियासत गिद्धौर द्वारा शुकर गोप, पे0–हुरो गोप के नाम खाता सं0–111, प्लॉट नं0–919, रकवा 1.40 एकड़ जमीन दिनांक–05.04'1938 को खतियान स्लीप निर्गत किया गया तथा तब से वे दखल–कब्जा में चला आ रहा था और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी विपक्षी दखल–कब्जा में चले आ रहे है।

(3) बिहार सरकार द्वारा विपक्षी के नाम मालगुजारी निर्धारित नहीं किया गया था इसलिए उन्होंने रेंट फिक्स करने के लिए अंचल अधिकारी, सोनो को आवेदन दिया और उसके आधार पर रेंट फिक्सेसन केश (विविध वाद सं0–17/2012–13) प्रारंभ किया गया। पुरी जाँच–प्रड़ताल के पश्चात् तथा विपक्षी का दखल–कब्जा पाकर उनका आवेदन अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा स्वीकृत किया गया और उनके नाम लगान निर्धारण किया गया क्योंकि उक्त जमीन पर विपक्षी और उनके

पूर्वज का दखल–कब्जा विगत 60 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा था।

(4) मुकदमें के दौरान श्रीमान द्वारा अंचल अधिकारी, सोनो से प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसमें उन्होनें प्रतिवेदित किया है कि उक्त खाते की जमीन गैरमजरूआ मालिक के रूप में खतियान में दर्ज है।

(5) इस संबंध में श्रीमान से निवेदन पूर्वक कहना है कि भूतपूर्व जमींदार राज सियासत, गिद्धौर द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तक लगान लेकर जमींदारी मालगुजारी रसीद निर्गत की जाती रही।

(6) प्रश्नगत भूमि विपक्षी और उनके पूर्वज के दखल–कब्जा में लगभग 80 वर्षो से चला आ रहा है और उसपर बिहार सरकार द्वारा भी विविध वाद सं0–17/2012–13 के द्वारा लगान का निर्धारण किया गया।

(7) इस जमीन के एक हिस्से पर विपक्षी का रिहायसी मकान भी अवस्थित है, जिसमें वे सपरिवार रहते आ रहे है।

(8) विपक्षी के नाम जमाबंदी सं0–168 कायम है, जो बहुत पुरानी है, इसे न्यायहित में रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

(9) गैरमजरूआ जमीन, जिसका खतियानी स्लीप भूतपूर्व जमींदार द्वारा विपक्षी के पूर्वज के नाम निर्गत किया गया और जिसकी मान्यता बिहार सरकार द्वारा भी लगान निर्धारण कर दी गयी, तो अ बवह जमीन गैरमजरूआ नहीं रह गयी, बल्कि वह रैयती जमीन हो गई तथा इस जमाबंदी को रद्द इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

(10) इस भूमि पर स्वत्व वाद सं0–159/2013 भी सक्षम न्यायालय में लंबित चला आ रहा है।

अंचल अधिकारी, सोनो का कथन :–

(1) सर्वे खतियान में मौजा–ठाकुर अहरा के खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40 एकड़ गैरमजरूआ मोकरीदार किस्म परती कदीम दर्ज है।

(2) पंजी–II के जमाबंदी संख्या–168 बनाम किशुन यादव, पे0–शुकर यादव, सा0–ठाकुर अहरा, खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40 एकड़ दर्ज है। कैफियत खाने में बहुकुम अंचल अधिकारी वाद सं0–17/2012–13 दिनांक–28.02.2013 द्वारा जमाबंदी कायम है। लगान वर्ष 2012–13 तक वसूल है।

(3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा, जो शुकन महतो पे0–मीतन महतो के नाम खाता सं0–111, रकवा–1.40 डी0 का है तथा उक्त खाते, खेसरे से संबंधित जमाबंदी कायम नहीं है तथा रसीद भी निर्गत नहीं किया गया है।

निष्कर्ष :–उभयपक्षों की सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सोनो अंचल अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि मौजा–ठाकुर अहरा, खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि है। उक्त भूमि की भूतपूर्व मध्यवर्ती से हुकुमनामा द्वारा बंदोवस्ती का दावा दोनो पक्ष द्वारा किया जा रहा है, परन्तु अपने दावा के संबंध में ठोस साक्ष्य यथा–भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सरकार को समर्पित प्रश्नगत भूमि से संबंधित रिटर्न की कॉपी, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा समर्पित रिटर्न के आधार पर सरकार के सिरिस्ते में कायम जमाबंदी एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार के स्तर से नियमित रूप से निर्गत राजस्व रसीद इत्यादि समर्पित नहीं किया गया है, जिससे दोनो पक्षों के द्वारा प्रश्नगत भूमि को विधिवत् रूप से भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा बंदोवस्ती किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। उभयपक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहे कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उनकी जमाबंदी सरकार के सिरिस्ते में क्यों नहीं कायम हुई और

यदि किसी कारणवश कायम नहीं हुई थी, तो जमींदारी उन्मूलन के तुरंत बाद अपनी जमाबंदी कायम कराने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष क्या प्रयास किया गया एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा क्या निर्णय किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा स्वमेव विविध वाद सं0–17/2012–13 के द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा–ठाकुर अहरा, खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40 एकड़ का लगान 20 रूपये प्रति एकड़ की दर से द्वितीय पक्ष किसुन यादव, पे0–शुकर यादव के पक्ष में लगान निर्धारण की स्वीकृति दी गई। विदित है कि लगान निर्धारण की शक्ति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार में निहित है। बकास्त भूमि, रैयती भूमि, जो बेलगान अथवा काबिल लगान है, का लगान निर्धारण उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के स्तर से किया जाता है। गैरमजरूआ भूमि का लगान निर्धारण नहीं वरन बंदोवस्ती की कार्रवाई की जाती है। अतः तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए गैरमजरूआ भूमि का लगान निर्धारण अपने स्तर से कर दिया गया, जो अनधिकृत एवं नियम संगत नहीं है। चूँकि यह लगान निर्धारण क्षेत्राधिकार के अभाव में किया गया है, इसलिए यह आरंभतः शून्य (Ab Initio Void) है। जहाँ तक द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत मामले में बंटवारा एवं स्वत्व वाद सं0–159/2013 नारायण यादव बगैरह बनाम किसुन यादव बगैरह सब जज प्रथम, जमुई के न्यायालय में लंबित रहने का बिन्दु है, उक्त मामले में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ रहने के कारण सरकार को पक्षकार बनाना चाहिए था, इसलिए उक्त बंटवारा एवं स्वत्व वाद से सरकार का हित प्रभावित नहीं होता है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार में निहित हो गई तथा वर्त्तमान में यह अनाबाद बिहार सरकार की भूमि है। अतः प्रश्नगत भूमि मौजा–ठाकुर अहरा, खाता सं0–111, खेसरा सं0–919, रकवा–1.40 एकड़ की किसुन यादव, पे0–सुकर यादव की चल रही जमाबंदी संख्या–168 को रद्द (विलोपित) किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, सोनो को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त जमाबंदी में तदनुसार सुधार करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23/1/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

23/1/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 173 /रा0, दिनांक 23.01.2020

प्रतिलिपि :–उभयपक्षो/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, सोनो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को निदेश दिया जाता है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, सोनो के विरूद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विहित रूप से प्रस्ताव दें।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/1/20

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।